ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2021 से 03/2023
भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनाँक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत थे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री अमी चंद	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.58
2	6.1	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन।	35.97

3	7.1	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया की वसूली न करने बारे	0.54
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	0.05
5	8.2	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।	0.55
6	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।	0.19
7	9.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे	0.34
8	9.2	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	0.17
9	9.3	मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	0.95

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 28-02-2024 से 05-03-2024 तक ग्राम पंचायत जगत के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-22	02/2022	09/2021
2	2022-23	10/2022	07/2022

अस्वीकरण:-इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/2023-24/469 दिनाँक 27-02-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत जगत से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत जगत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत जगत के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व-स्रोत

वित्तीय वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**आय (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
2021-22	288343	370702	659045	327648	331397
2022-23	331397	94819	426216	42206	384010

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**आय (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
2021-22	1990644.3	7569968	9560612.3	5869923.9	3690688.4
2022-23	3690688.4	5398090	9088778.4	5491322.7	3597455.7

कुल योग (1 + 2) = ₹384010+₹3597455.7= ₹3981465.7

(ब) ग्राम पचांयत जगत, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान का नाम	राशि 31-03-2023
1.	18410110462,	HPSCB GAROLA	5TH SFC /13TH FC/AANGANBADI	1082736.04
2.	991013010002702,	HPGB DUEGETHI	VKVNY/ SF /LADA/SBM/VMJS /RELIEF	367056
3.	99171100000024,	HPGB GAROLA	14TH FC	0
4.	99171100000104,	HPGB GAROLA	15TH FC	2589626.7
			cash in hand	**0**
			कुल योग	**4039418.74**

अन्तर (ब-अ) ₹3981465.7-₹4039418.74 = ₹57953.04

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनाँक 31-03-2023 को राशि ₹57953.04/- का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.58 लाख का अन्तर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जगत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाँक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹57953.04 का अन्तर **परिशिष्ट –"3"** अनुसार रोकड़बही में कम शेष के रूप में है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-476, दिनाँक 29-02-2024 द्वारा पंचायत सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹35.97 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**3597455.7** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/478 दिंनाक 02.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जगत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 486 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.54 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जगत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹53735**/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2023 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष (₹)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार/	वर्ष के दौरान माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष बकाया राशि (₹)
1.	2021-22	28915	491	20	9820	38735	0	38735
2.	2022-23	38735	500	30	15000	53735	0	53735

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 477 दिनांक 01-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क व बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹0.05 लाख की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट - 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2021-22,2022-23 के विवाह पंजीकरण रजिस्टर में विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली नही की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹4875/- की वितीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-478 दिनाँक 02-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई है तथा जिसे जमा कर दिया जायेगा।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित सरकारी खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसके अतिरिक्त पूर्व में जमा विवाह शुल्क जोकि सभा निधि में है उसकी गणना करके उसे भी सम्बंधित खाते /कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना:-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत जगत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 486 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹0.55 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनाँक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे। तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई निविदाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनापति प्रमाण पत्र फॉर्म –M/X उपलब्ध न करवाने की दशा में अपेक्षित रॉयल्टी की कटौती हेतु कहा गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को राशि ₹55143.08/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/481 दिनाँक 04-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती समबन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबद्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई /अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.19 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने की दशा में निविदाएं स्वीकृत की गई थी अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹406512/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट " 5"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा आपूर्तिकर्ता रेत, बजरी एवं पत्थर में इत्यादि का धारक न होकर अन्य वस्तुओं व सेवाओं हेतु पंजीकृत था इसके अतिरिक्त सरकार को देय कर के साक्ष्य/ चालान भी नही पाए गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹19357.7/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 481 दिनाँक 04-03-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई

जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जाच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.34 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹33820**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम, 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान प्रधान व् सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किये गये जोकि एक गंभीर अनियमितिता है।

Sr. No.	Name Of Vender/ Supplier	Grants/ Head	Voucher/ Date	Name Of Material	Amount Paid
1	03/28.4.21	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	8085
2	10/25.08.22	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	2920
3	11/25.08.22	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	2960
4	12/25.08.22	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	2940

5	35/15.12.22	15th fc	Jagdish chand & sons	Hardware goods	16915
				Total	33820

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-480 दिनाँक 04-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत जगत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 राशि ₹0.17 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8, नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹16905**/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी।

Sr. No.	Name Of Vender/ Supplier	Grants/ Head	Voucher/ Date	Name Of Material	Amount Paid (₹)
1	03/28.4.21	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	8085
2	10/25.08.22	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	2920
3	11/25.08.22	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	2960
4	12/25.08.22	SF	MANIMAHESH PRINTER BHARMOUR	STATIONARY	2940
				Total	16905

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/480 दिंनाक 04.03.2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके कृत आगामी अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 ₹0.95 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत जगत के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि **₹95257**/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount (₹)	Discription Of Item	Head	Name of Work
3381	62/5.01.22	67810	LABOUR PAYMENT	SF	C/O ADDITIONAL AMOUNT PANCHAYAT GHAR WITH COMMUNITY HALL
3404	08/22.06.22	27447	LABOUR PAYMENT	15th fc	c/o rural path masodi to kut
	Total	95257			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 483 दिनाँक 04-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत जगत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।" अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास

कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनिकी सहायक व कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी ।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 482 दिनांक 04-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जगत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-486, दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 5th स्टेट, के साथ एक ही बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 486 दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत जगत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्वः स्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)	अपूर्ण
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
6.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
10.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

11.	मनरेगा रजिस्टर	16 से 22	10.3.1 से 3.9	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-486, दिनाँक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।" अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जगत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-486 दिंनाक 05-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

5\. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनिमितितायाओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुर्विन्योजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

18 MAY 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 17-5-24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

2106 – 2110

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 149/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जगत, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 MAY 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 17-5-24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट - 1

Financial Position of Own Sources in r/o " GP JAGAT " Dev. Block Bharmour Distt Chamba H.P

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	288343	370702	659045	327648	331397
2022-23	331397	94819	426216	42206	384010

Secretary
Gram Panchayat Jagat
Dev. Block Bharmour

~~परिशिष्ट-2 पैरा संख्या~~ 4(अ)(2) के संदर्भ में
पैरा संख्या 6.1 के संदर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP JAGAT D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	1990644.3	7569968	9560612.3	5869923.9	3690688.4
2022-23	3690688.4	5398090	9088778.4	5491322.7	3597455.7

Secretary
Gram Panchayat Jagat
Dev. Block Bharmo...

परिशिष्ट - 3 पैरा संख्या 3 का सन्दर्भ में.
पैरा संख्या 6.1 के सन्दर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP JAGAT "	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP	Year Ended	2021-22
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	123205	271248	394453	305284	89169
2	14TH FC	840667	64728	905395	636429.1	268965.9
3	15TH FC	809308.3	1478406	2287714.3	70.8	2287643.5
4	13 TH FC	0	1000000	1000000	172554	827446
5	SBM	32784	0	32784	0	32784
6	LADA	120000	0	120000	0	120000
7	AANGANBADI	64680	0	64680	0	64680
8	MANREGA	0	4755586	4755586	4755586	0
	Total	1990644.3	7569968	9560612.3	5869923.9	3690688.4
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP JAGAT "	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP-176315	Year Ended	2022-23
1	5TH SFC	89169	193200	282369	224000	58369
2	14TH FC	268965.9	3343	272308.9	272308.9	0
3	15TH FC	2287643.5	1386543	3674186.5	1084559.8	2589626.7
4	13TH FC	827446	0	827446	255682	571764
5	Relief fund	0	60000	60000	0	60000
6	SBM	32784	45000	77784	0	77784
7	VMJS	0	60000	60000	64768	-4768
8	VKVNY	0	160000	160000	100000	60000
9	LADA	120000	0	120000		120000
10	AANGANBADI	64680	0	64680		64680
11	MANREGA	0	3490004	3490004	3490004	0
	Total	3690688.4	5398090	9088778.4	5491322.7	3597455.7
	Balance as Per Bank on 31.03.23					
	A/c No	Branch	Head			
1	18410110462,	HPSCB GAROLA	5TH SFC /13TH FC/AANGANBADI			1082736.04
2	991013010002702,	HPGB DUEGETHI	VKVNY/ SF /LADA/SBM/VMJS/RELIEF			367056
3	99171100000024,	HPGB GAROLA	14TH FC			0
4	99171100000104,	HPGB GAROLA	15TH FC			2589626.7
		Cash In Hand				0
	Total					4039418.74
1	Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)					384010
2	Cash Book Balance on 31.03.2023		5TH SFC			58369
3	Cash Book Balance on 31.03.2023		14TH FC			0
4	Cash Book Balance on 31.03.2023		15TH FC			2589626.7
	Cash Book Balance on 31.03.2023		13TH FC			571764
5	Cash Book Balance on 31.03.2023		Relief fund			60000
6	Cash Book Balance on 31.03.2023		SBM			77784
	Cash Book Balance on 31.03.2023		VMJS			-4768
	Cash Book Balance on 31.03.2023		VKVNY			60000
	Cash Book Balance on 31.03.2023		LADA			120000
	Cash Book Balance on 31.03.2023		AANGANBADI			64680
	Cash Book Balance on 31.03.2023		MANREGA			0
				Total		3981465.7
				Diffrence		-57953.04
	Note :-1.Online cash book (e gram sawraj) not produced in audit					
	2.Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book					
	3. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book					
	4.Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position					

Secretary
Gram Panchayat Jagat
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट-5 पैरा संख्या 8.2 की पुष्टि में
पैरा संख्या 8.3 के संदर्भ में

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP JAGAT D.B BHARMOUR FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED
1	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	SF	25/23.03.22	SAND	5.38	8.7156	80	697.2	21089.0	20084.8	1004.2
2	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	15th fc	14/23.06.22	stone	13.3	29.792	80	2383.4	26334.0	25080.0	1254.0
3	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	15th fc	16/23.06.22	stone	11.55	25.872	80	2069.8	22805.0	21719.0	1086.0
4	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	15th fc	18/23.06.22	stone	10.1	22.624	80	1809.9	19838.0	18893.3	944.7
5	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	15th fc	20/23.06.22	stone	11.5	25.76	80	2060.8	22691.0	21610.5	1080.5
6	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	15th fc	22/23.06.22	stone	8.3	18.592	80	1487.4	16349.0	15570.5	778.5
7	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	14th fc	3/22.06.21	stone	10	22.4	80	1792.0	15744.0	14994.3	749.7
8	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	14th fc	11/25.08.22	stone	15	33.6	80	2688.0	29700.0	28285.7	1414.3
9	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	14th fc	11/25.08.22	SAND	5.38	12.0512	80	964.1	9540.0	9085.7	454.3
10	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	03/06.03.21	stone	43.15	96.656	60	5799.4	41424.0	39451.4	1972.6
11	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	03/06.03.21	AGGRIGATE	10	15.2	60	912.0	23650.0	22523.8	1126.2
12	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	03/06.03.21	STONE	5.4	12.15	60	729.0	5022.0	4782.9	239.1
13	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	03/06.03.21	STONE	23.39	52.6275	60	3157.7	21752.0	20716.2	1035.8
14	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	03/06.03.21	SAND	5.28	8.5536	60	513.2	15734.0	14984.8	749.2
15	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	04/21.01.23	STONE	20	45	80	3600.0	39600.0	37714.3	1885.7
16	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	04/21.01.23	STONE	20	45	80	3600.0	39600.0	37714.3	1885.7
17	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	04/21.01.23	STONE	18	40.5	80	3240.0	35640.0	33942.9	1697.1
18	PAWAN KUMAR GOVT CONT VPO UREI	MNREGA	04/21.01.23(3-11)	STONE	98	220.5	80	17640.0	194040.0	184800.0	9240.0
	Total			TOTAL				55143.8	406512.0	387154.3	19357.7

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand — 1.62
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate — 1.52
   One Cubic Meter (M^3) Stone — 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

परिशिष्ट-५ पैरा संख्या 7.2 के संदर्भ में

शादी पंजीकरण ग्राम पंचायत जगत

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	जमा न की गई राशी
1	1	रींकु राम सिन्धु छड़े राम	27.04.2021	05.06.2021	200	200	200
2	2	सुशील कुमार	27.04.2021	21.06.2021	400	400	400
3	3	संदीप कुमार	03.07.2021	23.07.2021	200	200	200
4	4	नागेन्द्र सिंह	07.05.2021	05.8.2021	400	400	400
5	5	दिनेश कुमार	28.07.2021	28.8.2021	200	200	200
6	6	विनोद कुमार	28.7.2021	01.10.2021	400	400	400
7	7	विवेक शर्मा	12.8.2021	01.10.2021	400	400	400
8	8	अभिषेक कुमार	07.10.2021	01.11.2021	200	200	200
9	9	सराई राम	22.11.2021	29.12.2021	200	200	200
10	1	आकाश शर्मा	07.02.2022	25.02.2022	200	200	200
11	2	मनू राम	23.06.2022	12.07.2022	200	200	200
12	3	मदन लाल	03.07.2022	27.07.2022	200	200	200
13	4	राहुल कुमार	20.7.2022	8.8.2022	200	200	200
14	5	इतेन्द्र कुमार	11.08.2022	23.8.2022	200	200	200
15	6	ऋषिकेश	20.07.2022	23.8.2022	50	50	50
16	7	अशोक कुमार	27.09.2022	12.10.2022	200	200	200
17	8	योगिन्द्र सिंह	27.09.2022	12.10.2022	200	200	200
18	9	अनूप कुमार	27.09.2022	20.10.2022	200	200	200
19	10	करनैल सिंह	04.12.2022	19.12.2022	25	25	25
20	1	महेन्द्र सिंह	8.12.2022	24.2.2023	400	400	400
21	2	अमित कुमार	9.2.2023	09.03.2023	200	200	200
					4875	4875	4875